जलस्तर

बरगी डैम, खंदारी जलाशय में लगातार गिर रहा पानी का स्तर

परियट में30 से 3 फीट पर पहुंचा पानी

कैंट व रांझी इलाके में पानी के लिए तरसते नजर आ रहे लोग

बारिश के आसार कमजोर गहराता जा रहा जलसंकट

नवभारत,जबलपुर। मानसूनी बरसात में देरी और सूखते प्राकृतिक जल स्त्रोतों का असर अब धरातल पर नजर आने लगा है। जबलपुर के प्रमुख खंदारी जलाशय, परियट जलाशय व बरगी डैम में पानी का स्तर बहुत नीचे गिर गया है जिससे रांझी व केंट के इलाकों में लोग पानी के लिए तरसते नजर आने लगे हैं। कमलेश श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री, जल विभाग ने नवभारत को बताया कि खंदारी जलाशय में सामान्यत: 34 फीट पानी रहता है लेकिन अभी 8 से 10 फीट पानी ही मौजूद है। वहीं परियट जलाशय में सामान्यत: 30 फीट पानी भरा रहता है जो कि अभी सिर्फ 3 फीट पर पहुंच गया है। ऐसे में जल प्रभावित क्षेत्रों में पानी के संकट को दूर करना नगर निगम के जिम्मेदारों के लिए बेहद कठिन चुनौती मानी जा रही है। वहीं बरगी डैम के मौजूदा हालात की बात करें तो डैम का पानी सूखने के कारण डूब क्षेत्र उभरकर नजर आने लगे हैं। वहीं उमरिया नहर भी सूखती नजर आ रही है। पानी के लिए प्रभावित इलाकों में सप्लाई को लेकर कमलेश श्रीवास्तव ने कहा है कि रांझी, कांचघर व कैंट के इलाकों में एक दिन छोड़कर एक दिन जलाशयों से पानी की सप्लाई की जा रही है साथ ही पानी के टैंकरों से पानी के संकट को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

कहीं और बिगड़ न जाए स्थिति

जानकारी के अनुसार स्थानीय मौसम विभाग के जिम्मेदारों ने पहले ही बता दिया था कि इस बार जबलपुर जिले में बारिश उस स्तर की तेज नहीं होगी जितनी हर वर्ष होती थी, मतलब साफ है कि पानी भी कम ही गिरने वाला है और ऐसे में ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि अगर बारिश पर्याप्त नहीं हुई तो पेयजल संकट कई गुना और बढ़ जाएगा। फिर जिम्मेदार इस स्थिति से कैसे निपटेंगे ये एक बड़ा सवाल बनकर नजर आ रहा है।

1 माह से परियट नदी में है पानी कम

लाला लाजपतराय वार्ड निवासी देवेंद्र ने कहा है कि परियट नदी में पिछले 1 महीने से पानी कम है इसके बावजूद जिम्मेदारों द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं रांझी निवासी प्रवीण देवी, विवेक, परिक्षित सहित अन्य ने कहा है कि पिछले कई सालों से रांझी में पानी का संकट बना हुआ है और लोग पीने के पानी के लिए मोहताज रहते हैं। लेकिन जिम्मेदारों को इस समस्या से कोई लेना-देना नहीं है। वहीं पानी की किल्लत के बीच पानी के केन की बिक्री कैंट व रांझी इलाके में ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि बोर का पानी पीने लायक नहीं आ रहा है और लोग अब पानी के केन को बुलवाना ही उचित समझ रहे हैं।

इन इलाकों में तरस रहे लोग

जानकारी के अनुसार रांझी के 8 वार्डों सहित केंटोनमेंट एरिया का सिविल एरिया भी पिछले कुछ दिनों से भीषण जलसंकट की चपेट में है। लाला लाजपतराय वार्ड, रांझी क्षेत्र के बड़ा पत्थर, दुर्गा मंदिर, बड़कूका बाड़ा, रक्षा नगर, मनमोहन नगर, रविदास नगर पानी के लिए लोगों को तरसते स्पष्ट देखा जा रहा है। शोभापुर, गोकलपुर और कांचघर क्षेत्र में देर रात तक लोग पानी के डिब्बे लेकर भटकते नजर आ रहे हैं।

अजाक्स संघ अध्यक्ष के स्थानांतरण पर रोक

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने अजाक्स संघ की तहसील इकाई अध्यक्ष शिक्षिका मीना अहिरवार के स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आर्यन उरमलिया ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मीना अहिरवार पन्ना जिले के एसटी गर्ल्स आश्रम ककरा में पदस्थ हैं। राज्य शासन ने 16 जूनए 2026 को उनका तबादला सीधी जिले के शासकीय हाई स्कूल दुआरी कर दिया था। याचिका में कहा गया कि वे अजाक्स संघ की तहसील इकाई की निर्वाचित अध्यक्ष हैं और संगठनात्मक दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। साथ ही उनके पति दमोह जिले में शासकीय सेवा में कार्यरत हैं। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाते हुए वर्तमान स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया।

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का प्रकरण निरस्त

कार्तिकेय सिंह चौहान के जवाब पर हाईकोर्ट का निर्देश

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय की ओर से कोर्ट को अपना पक्ष बताया गया। जिसमें कहा गया कि यदि राहुल गांधी ने भ्रमवश उनका नाम लिया था, तो अब उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने इसके बाद राहुल गांधी की उस याचिका का निराकरण कर दिया, जिसमें भोपाल में लंबित मानहानि के मामले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने उक्त प्रकरण को समाप्त करने के निर्देश दिए।

प्रकरण पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि परिवाद से जुड़ा है। आरोप है कि वर्ष 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स प्रकरण का उल्लेख करते हुए कार्तिकेय का नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। इसी शिकायत पर भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। राहुल गांधी ने उस समन और परिवाद को निरस्त करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गत दिवस सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता ने न्यायालय को बताया कि जिस बयान को आधार बनाकर मानहानि परिवाद दायर किया गया है, वह मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अथवा उनके पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान के संदर्भ में नहीं था। कोर्ट ने राहुल गांधी के इस जवाब पर कार्तिकेय सिंह से उनका पक्ष स्पष्ट करने को कहा था।

आदेश की अनदेखी पर कोर्ट सख्त, कलेक्टर का आदेश निरस्त

मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने गुरुवार को राजस्व मंडल के 12 वर्ष पुराने आदेश का पालन न किए जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब राजस्व मंडल के 20 मईए 2014 के आदेश पर किसी सक्षम न्यायालय से कोई स्थगन नहीं है, तब उसके क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने मामले के संबंधित अधिकारी पर पच्चीस हजार रुपये की कास्ट भी लगाई है। एडवेंचर वाइल्ड लाइफ रिजार्ट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता निखिल तिवारी ने पक्ष रखा। जिन्होंने दलील दी कि राजस्व मंडल के आदेश के अनुपालन के लिए पूर्व में दायर याचिका में हाईकोर्ट ने सात जुलाई 2025 को 45 दिन के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया और कलेक्टर ने 27 फरवरीए 2026 को पुन- यह स्पष्ट करने संबंधी आदेश जारी कर दिया कि कहीं अपील अथवा अन्य कार्यवाही लंबित तो नहीं है। राज्य शासन की ओर से पैनल लायर आकाश मालपानी ने स्वीकार किया कि राजस्व मंडल के आदेश पर किसी भी न्यायालय से अंतरिम राहत प्राप्त नहीं है।

लेबर चौक के पांच संस्थानों में पाई गईं अनियमितताएं

नगर निगम की संयुक्त टीम ने की तालाबंदी

नवभारत, जबलपुर। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के मार्गदर्शन में नगर निगम द्वारा शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों एवं सार्वजनिक उपयोग वाले प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा एवं जन-सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर निरंतर जाँच एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम के अग्निशमन विभाग, भवन विभाग, अतिक्रमण शाखा एवं बाजार विभाग की संयुक्त टीम द्वारा लेबर चैक क्षेत्र स्थित विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षित आवागमन एवं निकासी, भवन सुरक्षा, अतिक्रमण तथा लाइसेंस संबंधी आवश्यक बिंदुओं की जाँच की गई। जाँच में पाई गयी अनियमितताओं एवं जन-सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रखते हुए संस्थानों - करियर लॉन्चर, एम्प्लिक्लिक्स एकेडमी, करियर शेपर्स, रिवीलक्स रीक्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड कॉल सेंटर एवं मैथ्स बाई शर्मा सर में तालाबंदी की कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर निगम द्वारा संबंधित संस्था संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा, लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक अनुपालनों को पूर्ण कर संबंधित विभागों से सत्यापन कराएँ। आवश्यक अनुपालन एवं विभागीय सत्यापन के बाद ही आगे की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

कार्रवाई के दौरान अग्निशमन विभाग से अग्निशमन अधिकारी कुशाग्र ठाकुर, राजेन्द्र पटेल एवं निलेश पाटीदारय भवन विभाग से दिग्दर्श सिंह, यशवन्त सोनी एवं अनुपम शुक्ला, अतिक्रमण शाखा से लक्ष्मण कोरी तथा बाजार विभाग से अमित जोशी उपस्थित रहे।

हाईकोर्ट से दल-बदल विवाद में कांग्रेस को झटका

बीना विधायक निर्मला सप्रे मामले में स्पीकर को निर्देश देने से इंकार

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की याचिका निरस्त

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने बीना विधायक निर्मला सप्रे से जुड़े बहुचर्चित दल-बदल विवाद में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने सुरक्षित अपने फैसले को सुनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष को मामले का शीघ्र निपटारा करने अथवा कोई विशेष निर्देश जारी करने से इंकार करते हुए याचिका निरस्त कर दी। युगलपीठ ने मामले में स्पष्ट किया कि विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष दल-बदल कानून के तहत दायर आवेदन पर विधिसम्मत सुनवाई जारी है और संबंधित पक्षों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

दरअसल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की ओर से दायर याचिका में मांग की गई थी कि कांग्रेस से निर्वाचित विधायक निर्मला सप्रे के विरुद्ध दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई कर उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए। याचिका में आरोप लगाया गया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान वे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच साझा कर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हुईं और व्यवहारिक रूप से भाजपा का समर्थन करती रहीं। उक्त मामले में उभयपक्षों के तर्क पूरे होने पर न्यायालय ने विगत 18 जून को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिसे गुरुवार को सुनाते हुए न्यायालय ने उक्त मत के साथ दायर याचिका निरस्त कर दी।

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर इंदौर बेंच के प्रशासनिक न्यायाधीश बने

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के प्रशासनिक न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की नियुक्ति की गई है। इस संबंध में हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया ने आदेश जारी कर दिए हैं। न्यायमूर्ति अभ्यंकर, 27 जून को सेवानिवृत्त हो रहे वर्तमान प्रशासनिक न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला का स्थान लेंगे। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला के सेवानिवृत्त होने के बाद इंदौर खंडपीठ के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी न्यायमूर्ति अभ्यंकर संभालेंगे। प्रशासनिक न्यायाधीश के रूप में वे खंडपीठ के न्यायिक एवं प्रशासनिक मामलों की निगरानी करेंगे।

चुनौती के बीच मुस्तैदी, 3 दिनों में होगी सामान्य स्थिति

जलसंकट दूर करने का महापौर ने किया दावा

नवभारत,जबलपुर। वर्षाऋतु लेट होने और उमरिया नहर बंद होने से शहर के कुछ हिस्सों में उत्पन्न हुए जल संकट से निपटने के लिए नगर निगम प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी से जुट गया है। वर्षाऋतु में विलंब, नहर बंदी और मां नर्मदा व परियट नदी का जल स्तर गिरने की वजह से कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में पानी की सप्लाई आंशिक रूप से बाधित हुई है। इस तात्कालिक चुनौती को देखते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह 'अन्नू' ने संवेदनशीलता और तत्परता दिखाते हुए अधिकारियों को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने के कड़े निर्देश दिए हैं। महापौर ने स्पष्ट किया कि नगर निगम का जल प्रदाय विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। जल स्तर को बैलेंस करने और प्रभावित क्षेत्रों में सुचारू सप्लाई बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने दावा किया है कि अगले 3 दिनों के भीतर पानी की समस्या का पूर्ण निवारण कर लिया जाएगा।

राजीव नगर में तालाब के पास से हटाया गया अवैध कब्जा

नवभारत, जबलपुर। शहर के जलस्रोतों को संरक्षित करने और अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान के तहत नगर निगम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर चेरीताल वार्ड के अंतर्गत आने वाली राजीव नगर बस्ती में एक तालाब पर किए गए अवैध निर्माण को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अतिक्रमण हटने से अब इस क्षेत्र के सुंदरीकरण और विकास कार्यों को गति मिलेगी, जिससे स्थानीय निवासियों को एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण

मिल सकेगा। कार्रवाई के दौरान मौके पर सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही, भवन शाखा के सब इंजीनियर अभिषेक तिवारी एवं टाइम कीपर विमलेश पाठक, अतिक्रमण दल प्रभारी कुलदीप त्रिपाठी एवं उनकी पूरी टीम आदि उपस्थित रहे।

सब्जी के ठेले में बैठा था सांप

जबलपुर। तिलवारा थानांतर्गत चरगवां रोड पर जोधपुर पड़ाव के पास सांयकाल पांच बजे मूलचंद ठाकुर सब्जी का ठेला लेकर आ रहे थे, तभी उनकी नजर ठेले में रखी भिन्डी के ढेर पर पड़ी जिसमें एक अंदर एक सर्प बैठा था। सर्प देखकर मूल चंद ठेले से दूर हो गये। स्थानीय प्रेम लाल पटेल की सूचना पर पहुंचे सर्प विशेषज्ञ गजेन्द्र दुबे ने रेस्क्यू करते हुए सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। पकड़ा गया सांप धामन प्रजाति का था जो कि जहरीला नहीं होता है।

नहीं हुई कार्रवाई, घड़ा फोड़कर जताया आक्रोश

स्वास्थ्य विभाग के डॉ. आदर्श विश्रेई के खिलाफ उग्र प्रदर्शन

मालवीय चौक में जमा हुई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़

नवभारत,जबलपुर। मालवीय चौक पर गुरूवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉ. आदर्श विश्नोई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में वैक्सीन, भर्ती और जमीन जैसे कई बड़े घोटाले हुए हैं।

इसके साथ ही, उक्त अधिकारी ने शासन से छुपाकर करीब 12 से 14 विदेश यात्राएं करने और बेनामी संपत्ति अर्जित की है। प्रदर्शन की कड़ी में सपा कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर डॉ. विश्नोई के भ्रष्टाचार का प्रतीकात्मक घड़ा फोड़कर अपना विरोध जताया और सरकार से उन्हें तुरंत पद से हटाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने जबलपुर कमिश्नर ,कलेक्टर एवं सीएमएचओ जबलपुर को पूर्व में डॉ. आदर्श विश्रोई के खिलाफ शिकायत दे दी है लेकिन आज की तारीख तक कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिखी है। समाजवादी पार्टी के आशीष मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी डॉक्टर आदर्श विश्नोई को पाटन विधायक द्वारा संरक्षण प्राप्त थे जिसके चलते उनके हौसले बुलंद हैं। प्रदर्शन में सपा के मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र यादव ,प्रदेश सचिव कमलेश पटेल ,प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा , वरिष्ठ बेनी प्रसाद उड़िया , राम बालक पटेल, राहुल अहिरवार, संतोष यादव सहित बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जबलपुर को मप्र की दूसरी राजधानी बनाने की लड़ाई जारी रखनी होगी : विवेक कृष्ण तन्खा

राज्यसभा सांसद ने उठाई आवाज

नवभारत,जबलपुर। दुनिया में कभी कोई चीज बिना लड़े नहीं हुई है, जबलपुर को मप्र की दूसरी राजधानी बनाने के लिए अड़ना चाहिए, आप अड़ोगे तभी सभी चीजें होंगीं। मप्र सरकार का अधिकतर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट पश्चिमी मध्यप्रदेश यानि इंदौर, देवास में हो रहा है ऐसे में जबलपुर सहित पूर्वी मप्र के साथ न्याय कैसे होगा।

ये बातें राज्यसभा सांसद सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा ने गुरूवार को जेसीसीआई के कार्यक्रम में भाषण के दौरान कहीं। साथ ही उन्होंने अपने एक्स एकाउंट में स्पष्ट ट्वीट किया कि जबलपुर को मध्यप्रदेश की दूसरी राजधानी बनाने की लड़ाई जारी रखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में जबलपुर सहित मप्र का पूर्वी हिस्सा विकास में पिछड़ चुका है। मौजूदा हालात तो ये हैं कि जबलपुर को जो मिला है अब उसका भी विभाजन हो रहा है जैसे मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी। जबकि हमारे जबलपुर को कुछ नया नहीं मिला है। इसलिए जबलपुर को मप्र की दूसरी राजधानी घोषित करने की मांग पूरे जबलपुर के युवा वर्ग सहित सभी को करनी चाहिए।

आठ अधिकारियों-कर्मचारियों पर गिरी कार्रवाई की गाज

जबलपुर । लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों को समय सीमा के भीतर सेवाएं नहीं देने वाले जिले के आठ अधिकारियों-कर्मचारियों पर कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने 250 रूपये से लेकर 5 हजार रूपये तक का अर्थदंड अधिरोपित किया है। दंडित अधिकारियों-कर्मचारियों में नायब तहसीलदार रांझी, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी एवं पंचायत सचिव शामिल है। इन पर अधिरोपित अर्थदंड की कुल राशि 9 हजार 500 रूपये है। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने दंडित अधिकारियों-कर्मचारियों को अधिरोपित किये गये अर्थदंड की राशि पांच दिन के भीतर सायबर ट्रेजरी के माध्यम से शासन के खाते में जमा करने तथा रसीद की छायाप्रति लोक सेवा प्रबंधन विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। जिन अधिकारियो-कर्मचारियों पर दंड अधिरोपित किया गया है उनमें नायब तहसीलदार रांझी आदर्श जैन, नगर निगम जबलपुर के स्वास्थ्य अधिकारी अभिनव मिश्रा, जनपद पंचायत मझौली की ग्राम पंचायत भीटा खुर्द के सचिव युगल किशोर पटेल ग्राम पंचायत गौरा नेगई के सचिव ओमकार सिंह,ग्राम पंचायत डबराकलां के सचिव भोला सिंह तेकाम, डोली सचिव करण सिंह, मडई कलां सचिव राम प्रसाद तिलगाम हरदुली सचिव रामदीन पटेल पर अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

चोरी

गौर एकता मार्केट के पास का वीडियो वायरल

दिनदहाड़े ननि के वाहन से हो रहा था डीजल चोरी

नवभारत,जबलपुर। शहर में चोरों के हौंसले अब इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें किसी का डर नहीं है और वे दिनदहाड़े नगर निगम के वाहन से डीजल चोरी करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में गुरूवार दोपहर को गौर एकता मार्केट के पास का एक वीडियो व तस्वीर वायरल हुई जिसनें नगर निगम के सरकारी वाहनों में डीजल चोरी करने के तथ्य को बिल्कुल सत्य साबित किया।

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, कैसे बिना किसी डर के, सरेआम सड़क पर खड़ी नगर निगम की गाड़ी के फ्यूल टैंक से तेल निकाला जा रहा है। व्यस्त

इलाका होने के बावजूद चोरों को न तो कानून का खौफ था और न ही पकड़े जाने का डर। वहीं स्थानीय लोगों और वीडियो देखने वालों का मानना है कि, बिना किसी विभागीय मिलीभगत या कर्मचारियों की लापरवाही के, इस तरह सरेआम सरकारी गाड़ी से तेल निकालना संभव नहीं है। डीजल चोरी की घटना सामने आने के बाद गौर क्षेत्र के रहवासियों में आक्रोश व्याप्त है और वे दो टूक कह रहे हैं कि जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाले सरकारी वाहनों का इस तरह से दुरुपयोग और चोरी होना बेहद शर्मनाक है।

क्या होगी कार्रवाई?

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि वीडियो वायरल होने के बाद क्या नगर निगम प्रशासन और स्थानीय पुलिस इन चोरों और लापरवाह कर्मचारियों पर कोई सख्त कार्रवाई करेगी? या फिर हर बार की तरह इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा?

सरगना तक नहीं पहुंच सके हैं निगम के हाथ

नगर निगम के वाहनों से डीजल चोरी करने का ये पहला मामला सामने नहीं आया है इसके पहले भी कई नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा सांठगांठ कर डीजल चोरी किया जाता रहा है और निगम के खजाने में डाका डाला जाता रहा है। हैरानी की बात ये है कि आज तक डीजल चोरी करने वाले गिरोह पर कोई लगाम निगम प्रशासन द्वारा नही कसी गई है। आलम ये है कि डीजल चोरी गैंग के सरगना का भी अभी निगम पता नहीं लगा सकी है जबकि मालूम सभी को है कि निगम के वाहनों में डीजल की हेरा फेरी चरम पर हो रही है।

युवक ने खाया जहर, मौत

जबलपुर। गोसलपुर थाना अंतर्गत गांधीग्राम बुढ़ागर में एक युवक ने जहर का सेवन कर आत्महत्या कर ली । मृतक ने यह आत्मघाती कदम किन परिस्थितियों में उठाया इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है । पुलिस के मुताबिक शिवा सिंह राठौर 20 वर्ष निवासी गांधीग्राम बुढ़ागर ने गुरूवार को घर में जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया जिसे परिजन आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने परीक्षण उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57